Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 28)

फतेह सिंह व अन्य बनाम चन्दरसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 06/ वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...01.2022	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 08.02.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि 162/0.51 है0 वाके ग्राम खोहरीकलां तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0) पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	
08/02/22	पत्रावली आज मूलवाद के साथ पेश हुई। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उप0। वादी का वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूलवाद हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	फतहसिंह दुल्हसिंह sd. 8/2/22